न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 18 / 16 वैवाहिक

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र हरीराम आयु 30 साल जाति प्रजापति निवासी वार्ड नं0 03 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती इमरतीदेवी पत्नी राजकुमार उर्फ राजू पुत्री जगदीश आयु 28 साल जाति प्रजापति निवासी खुरेहरी थाना मुरार जिला ग्वालियर म0प्र0

-----आवेदक कं02

आवेदक कं01 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता आवेदक कं02 द्वारा श्री के0के0शुक्ला अधिवक्ता

STINGTH STATE OF SUNT

1— वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिकी पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है |

2— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजकुमार उर्फ राजू (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक कं01 के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती इमरती देवी (जो कि आवेदनपत्र में आवेदिका कं02 के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार कमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 20—6—2005 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था । विवाह के उपरान्त पक्षकार कं02 पक्षकार कं01 के के यहां रही । दोनों के संसर्ग से एक पुत्री का भी जन्म हुआ जो वर्तमान में

सात वर्ष की है । उभयपक्षकारों के वैवाहिक संबंध सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं और आपस में अत्यधिक विरोध है । उनके मध्य आये दिन झगड़ा फसाद होता रहता है और छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था । आवेदनपत्र पेश करने के दो वर्ष से अधिक समय से उनके मध्य कोई वैवाहिक संबंध की स्थापना नहीं हुयी । विवाह विच्छेद उपरांत पुत्री का दायित्व पक्षकार कं02 श्रीमती इमरती पर रहेगा और वही उसकी परवरिश व व्यवस्था करेगी । पक्षकार कं02 श्रीमती इमरती ने अपना भरण पोषण की राशि भी प्राप्त कर ली है अब उसका किसी प्रकार का भरण पोषण व विवाह में दिया गया सामान पक्षकार कं01 राजकुमार पर शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 20—6—2005 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है। ।

- 3— उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 29—2—16 को पेश किया गया उसके उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 राजकुमार उर्फ राजू एवं पक्षकार कं02 श्रीमती इमरती देवी को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |
- 4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं02 श्रीमती इमरती पक्षकार कं01 राजकुमार उर्फ राजू की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमित के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह—समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष दो वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकार कं02 श्रीमती इमरती देवी के द्वारा सम्पूर्ण भरण पोषण पक्षकार कं01 से प्राप्त कर लिया है ।
- 5— उपरोक्त संबंध में विचार उपरांत उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में

उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

1—आवेदक पक्षकार कं01 राजकुमार उर्फ राजू तथा श्रीमती इमरती देवी पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 20-6-2005 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) ्रम् जज १ जला भिण्ड स्वितिक्षेत्रि